न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, डीडवाना
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्तः–

1. श्री विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र श्री घनश्याम अग्रवाल, (खाद्य कारोबारकर्ता)
निवासी– पानी की टंकी के पास, माली मौहल्ला, नया बाजार, बोरावड जिला नागौर।
फर्मः– मैसर्स घनश्याम अग्रवाल, गेलडा मौहल्ला, नया बाजार, बोरावड जिला नागौर।
2. श्री घनश्याम अग्रवाल, मालिक
मैसर्स घनश्याम अग्रवाल, गेलडा मौहल्ला, नया बाजार, बोरावड़ जिला नागौर।

प्रकरण संख्याः– 18/2020

" अर्न्तगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i), धारा 26 की उपधारा 2(ii) "

उपस्थितिः

प्रतिवादी श्री विनोद कुमार अग्रवाल

–:निर्णय :–

दिनांक :–15 अप्रैल, 2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी के विरूद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 21.08.2019 को समय 12:45 पी.एम. पर मैसर्स घनश्याम अग्रवाल, गेलडा मौहल्ला, नया बाजार, बोरावड़ जिला नागौर पर पॅहुचा। वहां पर विक्रेता से परिचय लेने व देने पर ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र घनश्याम अग्रवाल, निवासी– पानी की टंकी के पास, माली मौहल्ला, नया बाजार, बोरावड़ जिला नागौर, फर्म–मैसर्स घनश्याम अग्रवाल, गेलडा मौहल्ला, नया बाजार, बोरावड जिला नागौर खांद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता ने प्रस्तुत किया जिसकी छायाप्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निर्माण इकाई/गोदाम का कारोबारकर्ता की उपस्थिति मे निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु तैयार किये जा रहे आटा (भगवती भोग) जो कि 10, 25 एवं 50 किलो की पैकिंग साईज में क्रमशः 2, 28 एवं 55 कट्टे रखे है जिसके अमानक/मिथ्याछाप का शक होने पर 10 किलो आटा का कट्टा खुलवाकर उसमें से 2 किलो आटा (भगवती भोग) खाद्य कारोबारकर्ता श्री विनोद कुमार अग्रवाल को सूचित करते हुए वास्ते नमूना जाँच खरीदा जिसकी कीमत कारोबारकर्ता को 46/–रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। मौके पर ही 10 किलो आटा (भगवती भोग) के कट्टे की फोटो खींच कर उसके 5 प्रिंटआउट निकलवाकर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये। खरीद रसीद मूल तथा लेबल की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे, गवाह व खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले खाद्य कारोबारकर्ता को बता दिया था कि यह आटा (भगवती भोग) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहा हूँ। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक Q–1176, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ आटा (भगवती भोग) के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। प्रत्येक लेबल के साथ 10 किलो आटा (भगवती भोग) के कट्टे की हस्ताक्षरयुक्त प्रिंटआउट प्रति लगाई। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमाक Q–.1176 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता श्री विनोद कुमार अग्रवाल एवं गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना जार सील की थी। दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 21.08.2019 को देकर रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है तथा शेष नमूना को फार्म नं. 6 प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्दकर सील मोहर कर श्रीमान डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को दिनांक 21.08.2019 को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(3) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक 501–02 दिनांक 11.09.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेंर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या LS/57/Act/2019/57 दिनांक 29.08.2019 के द्वारा मालूम हुआ कि लिया गया आटा (भगवती भोग) का नमूना मिसब्रान्डेड होना पाया गया है। उक्त नमूने की पत्रावली आवेदक द्वारा अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत कि गई एवं खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट की एक प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने विक्रेता एवं मालिक को प्रेषित करते हुए अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया। जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। परन्तु खाद्य कारोबारकर्ता श्री विनोद कुमार अग्रवाल ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ आटा (भगवती भोग) को मिसब्रान्डेड होना पाया गया जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) व धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत जुर्मान योग्य है। जो जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन ने स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त के खाद्य पदार्थ आटा (भगवती भोग) के मिसब्रान्डेड होना अधिनयम के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(4) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 10.03.2021 को अभियुक्त विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र घनश्याम अग्रवाल ने उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेन्ट/जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 21.08.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, द्वारा जिस आटा (भगवती भोग) का नमूना जांच के लिये लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार अमानक पाया गया है। जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। निवेदन करता हूं कि आगामी समय में कभी ऐसी गलती नहीं होगी।

(5) प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 10.03.2021 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) व धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत जुर्मान योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(6) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 21.08.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी समय 12:45 पी.एम. पर फर्मः–मैसर्स घनश्याम अग्रवाल, गेलडा, मौहल्ला, नया बाजार बोरावड़ जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र घनश्याम अग्रवाल, निवासी– पानी की टंकी के पास, माली मौहल्ला, नया बाजार, बोरावड़ जिला नागौर उपस्थित थे। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्थान का कारोबारकर्ता होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन, जीएसटीर रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने विक्रय अनुज्ञा पत्र व जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(7) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति मे गोदाम/निर्माण इकाई का निरीक्षण किया जहां पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु तैयार किये जा रहे आटा (भगवती भोग) के 10, 25 एवं 50 किलो की पेकिंग साइज में क्रमश 2, 28 एव 55 कट्टे रखे है जिसके अमानक/मिथ्याछाप का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व खाद्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले खाद्य कारोबारकर्ता को बता दिया था कि यह आटा (भगवती भोग) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कारोबारकर्ता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त आटा (भगवती भोग) के 10 किलो के कट्टे में से 2 किलो आटा को नमूना वास्ते जांच हेतु तुलवाकर खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 46/–नगद (अक्षरे छियालीस रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ आटा (भगवती आटा) के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। प्रत्येक लेबल के साथ 10 किलों आटा (भगवती भोग) के कट्टे की हस्ताक्षरयुक्त प्रिंटआउट प्रति लगाई फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमाक Q–.1176 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता श्री विनोद कुमार अग्रवाल एवं गवाहान को पढ़, सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई।

(8) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म न. 5ए खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म मैसर्स घनश्याम अग्रवाल गेलडा मौहल्ला नया बाजार बोरावाड़ जिला नागौर, खाद्य कारोबारकर्ता श्री विनोद कुमार अग्रवाल से खाद्य पदार्थ आटा (भगवती भोग) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी है।

तत्पश्चात कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। फार्म नं. 6 की एक प्रति अलग से लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को देकर रसीद प्राप्त की शेष नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। जो मूल ही संलग्न है।

पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM-B रिपोर्ट नं. L.S/57/Act/2019/57 दिनांक 29.08.2019 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:–

Opinion- The Sample of Atta (Bhagwati Bhog brand) bearing Code No. and Sr. No. Q-1176 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Nagaur is **Misbranded** under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act -2006.

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ आटा (भगवती भोग) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता विनोद कुमार से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ आटा (भगवती भोग) का नमूना Q–1176 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) व धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत जुर्मान योग्य है। खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान की जांच रिपोर्ट संख्या LS/57/Act/2019/57 दिनांक 29.08.2019 के अनुसार उक्त आटा (भगवती भोग) नमूना नं.– 1176 is Misbranded under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act 2006 होना पाया गया। खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याब्रांण्ड है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा इस प्रकार है:–

धारा 3:–

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(zf) " मिथ्या छाप वाला खाद्य " पदार्थ अभिप्रेत है–

(c) यदि पैकेज में अन्तर्विष्ट पदार्थ–

(i) कोई कृत्रिम सुरूचिकारक, कृत्रिम रंजक या रासायनिक परिरक्षी से युक्त है और पैकेज उस तथ्य का कथन करने वाले घोष्णात्मक लेबल के बिना है या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उस पर लेबल नहीं लगाया गया है या उसकें उल्लंघन है; या

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:–

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक है या उसमें बाह्य पदार्थ मिले है; या

धारा 52:–मिथ्या छाप वाले खाद्य के लिए शास्तिः–

(1) कोई व्यक्ति जो चाहे स्वंय या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का मानव उपभोग के लिए विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है जो मिथ्या छाप का है, शास्ति का, जो तीन लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक 501–02 दिनांक 11.09.19 से उक्त को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। अतः उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ सेम्पल Q–1176 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) व 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया गया जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत जुर्मान योग्य है, इस प्रकार, अमानक खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्मः– मैसर्स घनश्याम अग्रवाल, गेलडा मौहल्ला, नया बाजार, बोरावड़ जिला नागौर ही दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

प्रतिवादी विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र घनश्याम अग्रवाल, निवासी– पानी की टंकी के पास, माली मौहल्ला, नया बाजार बोरावड़, जिला नागौर फर्मः– मैसर्स घनश्याम अग्रवाल, गेलडा मौहल्ला, नया बाजार, बोरावड़ जिला नागौर पर राशि रुपये 20000/–(अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

(9) आदेश दिनांक 15.04.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना